# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—–जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

सरकार बनाम जयनारायण वगै0

...न मुकदमा–अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर–35 / 2008

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.5.2023 | राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि उनवानी प्रकरण उप तहसीलदार लवाण जिला दौसा द्वारा अप्रार्थी जयनारायण पुत्र रामदेव बैरवा निवासी लवाण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जबकि अप्रार्थी जयनारायण पुत्र रामदेव बैरवा का स्वर्गवास दिनांक 13.11.1979 को हो गया है। कानूनी रूप से किसी भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध ना तो किसी प्रकार का प्रकरण पेश किया जा सकता है ना ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। अतः उप तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 निरस्त फरमाया जावे।<br><br>राजकीय अधिवक्ता ने विचाराधीन प्रार्थना पत्र को मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश किये जाने से खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उप तहसीलदार लवाण द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 जो कि वर्ष 2002 में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में शामिल अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी जयनारायण पुत्र रामदेव बैरवा का स्वर्गवास दिनांक 13.11.1979 को हो गया है। हम अधिवक्ता अप्रार्थी के कथन से सहमत है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई प्रकरण पेश नहीं किया जा सकता है। हम उप तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किये जाने योग्य समझते है।<br><br>अतः उप तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। तहसीलदार लवाण को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी जयनारायण के विधिक वारिसान के नाम पृथक से धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 का प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लवाण को प्रेषित की जावे। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary<br>Date: 2023.07.28 13:01:54 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>जिला कलक्टर<br>दौसा | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official